[illegible] दण्ड प्रक्रिया संहिता

[illegible] मुण्डा वगैरह ....प्रथम पक्ष

बनाम

[illegible] मुण्डा वगैरह ....द्वितीय पक्ष

आदेश

19-06-2017

प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी, राहे ओ०पी० के अप्राथमिकी संख्या–13/16, दिनांक–07/09/2016 के द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के तहत द०प्र०सं० की धारा–107 के तहत उभय पक्षों के बीच कार्यवाही प्रारंभ की गई।

प्रस्तुत वाद में दानों पक्षों की ओर से कारण पृच्छा दाखिल की गई है। दोनों पक्षों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खण्डन करते हुए एक दूसरे पर शांति भंग करने का आरोप लगाया है। यह वाद पूर्व से जमीनी विवाद एवं आपसी झगड़ा के कारण उत्पन्न हुआ है।

प्रथम पक्ष गवाही–

गवाह संख्या–01, बुधराम मुण्डा (पार्टी गवाह)– द्वारा अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया गया है कि खेत को लेकर झगड़ा हुआ था। विवाद 100 खाता का है, 100 खाता फुलवार बेहराबेड़ा में है। मैं विवादित जमीन को पाने के लिए केस किया हूँ। दो साल से द्वितीय पक्ष विवादित जमीन में जोत–कोड़ कर रहा है, इसके पहले मैं करता था। द्वितीय पक्ष को जब मैं खेत जोतने के लिए पूछने गया तो वे लोग बोले कि हमलोग जोतेगें। उस समय कोई मारपीट नहीं हूआ था। केस होने के बाद भी मारपीट नहीं हुआ है, सिर्फ मैं जमीन को पाने के लिए केस किया हूँ।

द्वितीय पक्ष गवाही–

गवाह सं०–01,(जगमोहन मुण्डा)– द्वारा अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया गया है कि प्रथम पक्ष जमीन को लेकर केस किया है। विवादित जमीन फुलवार बेहराबेड़ा का जमीन है। उभय पक्ष में जमीन को लेकर लड़ाई झगड़ा या मारपीट नहीं हुआ है। हाल में उभय पक्ष में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, अभी उभय पक्ष शान्तिपूर्वक रहते हैं। केस के दौरान उभय पक्ष में धमका धमकी नहीं हुआ है अभी झगड़ा का संभावना उभय पक्ष में नहीं है।

गवाह सं०–02, सन्तोष मुण्डा (पार्टी गवाह)– द्वारा अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया गया है कि विवादित जमीन में प्रथम पक्ष का कभी–भी दखल कब्जा नहीं था। जमीन को लेकर उभय पक्ष में मारपीट या तू–तू मैं–मैं कभी नहीं हुआ हैं केस होने के बाद भी उभय पक्ष में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। अभी उभय पक्ष शान्ति से हैं। प्रथम पक्ष 100 खाता के जमीन में हल जोतने नहीं गया है तो धमकाने की बात ही नहीं है।

उभय पक्ष के कारण पृच्छा, गवाहों की गवाही, विद्वान अधिवक्ताओं

(5) [illegible] को पहले से जोता था लेकिन

की दलीलों को सुनने के बाद इस वाद से संबंधित कागजात एवं पुलिस प्रतिवेदन के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि विवाद मूलतः जमीन पर दखल–कब्जा को लेकर है जिसके संबंध में दोनों पक्ष अलग–अलग दावा कर रहे हैं एवं प्रथम पक्ष (पार्टी गवाह) द्वारा स्पष्ट बयान दिया गया है कि " मैं जमीन वापस पाने के लिए केस किया हूँ" जिसमें धारा 107 द०प्र०सं० के तहत कार्रवाई संभव नहीं है। उभय पक्षों के बीच हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है तथा उभय पक्ष वाद की कार्रवाई के दौरान वर्त्तमान में शांति भंग होने की संभावना की पुष्टि नहीं कर पाए।

अतः वाद में बिना कोई प्रभावी आदेश पारित किए अभिलेख की कार्रवाई बन्द किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी ,
बुण्डू।

19/6/17
कार्यपालक दण्डाधिकारी ,
बुण्डू।